न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 :198/2018

अनवान :

1. जगतपाल पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. रणसिंह पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
2. जयसिंह पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
3. बिमला
4. शिला
5. शकुन्तला

पुत्रियान रणसिंह जाति जाट निवासीगण चक भोजसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनीवाल : **वादी**

वकील श्री विक्रम शर्मा : **प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 5**

वकील श्री रविन्द्र बिजारणीया : **प्रतिवादी सं. 3**

निर्णय **दिनांक :** 09.04.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 एमएसआर के खाता संख्या 87/78 के मु.न. 7 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, मु.न. 8 के किला नं. 4 ता 7, 15 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, मु.न. 53 के किला नं. 1 ता 3 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, 4/2 की 0.139 हैक्टर किला नं. 8 ता 13 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर कुल 5.199 हैक्टर नहरी 3.642 हैक्टर, बारानी 1.518 हैक्टर, गैर मुमकिन रास्ता 0.039 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं.1 रणसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है व चक 1 बीएचपी के खाता संख्या 176/173 के मु.न. 3 के किला नं. 4 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 5/1 की 0.127 हैक्टर, किला नं. 6–7 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 8/1 की 0.063 हैक्टर कुल 0.949 हैक्टर बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 रणसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

प्रतिवादी सं. 1 रणसिंह को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता उदमीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 रणसिंह के साथ–साथ मुझ वादी जगतपाल व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 का जन्म से हक व हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 रणसिंह के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादीया सं. 3 ता 4 वादी व प्रतिवादी सं. 2 की बहने व प्रतिवादी सं. 1 कीं बेटियां है जो आज से काफी वर्षो पूर्व से अपनी ससुराल में आबाद है उनकी शादी भी काफी समय पूर्व बड़े धुमधाम से कर दी गई, उनके छुछक, भात वगैरहा के सामाजिक कार्यक्रम वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से पूर्ण किये जा चुके है और प्रतिवादीया सं. 3 ता 5 हमारे द्वारा किये गये कार्यो से काफी खुश है, प्रतिवादीया सं. 3 ता 5 ने राजी खुशी से अपना हक व हिस्सा अपने भाईयों वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर परित्याग कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया और प्रतिवादी रणसिंह ने भी हस्तगत वाद भूमि में अपना समस्त हिस्सा अपने पुत्रों वादी जगतपाल व प्रतिवादी जयसिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर परित्याग कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया। इस प्रकार प्रतिवादी रणसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ऊपर वर्णित खातेदारी में वादी व प्रतिवादी सं. 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये है।

राजस्थान सरकार लैण्ड वाद भूमि में होल्डर होने के कारण तहसीलदार भादरा को प्रतिवादी सं. 6 पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी सं. 7 बैंक के वाद भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना अपना इकबालदावा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट ने अपना जवाबदावा पेश किया तथा वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 7 को तर्क किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का इकबालदावा पेश होने के बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गई।

साक्ष्य वादी में वादी पीडब्ल्यु 1 जगतपाल पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा के बयान करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 एमएसआर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 87/78, प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमाबन्दी चक 1 बीएचपी सम्वत 2054 प्रदर्श 2, ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, शपथ पत्र प्रदर्श 4, सत्य प्रति जमाबंदी चक 1 बीएचपी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 176/173 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित खतौनी जमाबन्दी चक 2 एमएसआर सम्वत 2057 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमि रणसिंह को अपने पिता उदमीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वादगत कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 रणसिंह के साथ–साथ वादी जगतपाल व प्रतिवादी सं. 2 ता 5 का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में वादी ने चक 2 एमएसआर के खाता संख्या 87/78 व चक 1 बीएचपी के खाता संख्या 176/173 के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो जमाबन्दी खतौनी चक 1 बीएचपी सम्वत 2054 प्रदर्श 2, जमाबंदी खतौनी चक 2 एमएसआर सम्वत 2057 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये है उनमें वाद भूमि वादी के दादा उदमी वल्द पतराम के नाम दर्ज जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
जिला-हनुमानगढ़

पत्र प्रदर्श 3 में रणसिंह के वारिसान में चन्दो पत्नी, तीन पुत्रियां बिमला, शिला, शकुन्तला व दो पुत्र जयसिंह, जगतपाल होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। चूंकि वादी ने अपने दावा में अपने पिता का नाम कलमजन किया जाकर व अपनी बहनों द्वारा उनके हिस्सा को अपने नाम से तर्क किया जाने के तथ्य अंकित कर सम्पूर्ण भूमि में अपने व अपने भाई जयसिंह के नाम की घोषणा करवाये जाने का अनुतोष चाहा है, जबकि पिता के जीवन यापन के लिए आय के स्त्रोतो अथवा यदि कोई कृषि भूमि अन्यत्र उनके पिता के नाम दर्ज है तो इन तथ्यों को अपने दावा में अंकित नहीं किया है इस प्रकार रणसिंह व उसकी पत्नि अपना जीवन निर्वहन आय के किन स्त्रोतो से करेंगे इन तथ्यों से न्यायालय अनभिज्ञ है। इसलिए न्यायहित में रणसिंह का एक हिस्सा उसके नाम सुरक्षित रखा जाना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार वाद वादी आंशिक साबित है।

अतः वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 2 एमएसआर के खाता संख्या 87/78 के मु.न. 7 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.2530 हैक्टर, मु.न. 8 के किला नं. 4 ता 7, 15 प्रत्येक किला की 0.2530 हैक्टर, मु.न. 53 के किला नं. 1 ता 3 प्रत्येक किला की 0.2530 हैक्टर, किला नं. 4/2 की 0.1390 हैक्टर किला नं. 8 ता 13 प्रत्येक किला की 0.2530 हैक्टर कुल 5.199 हैक्टर, जिसमें नहरी 3.6420 हैक्टर, बारानी 1.5180 हैक्टर, गैर मुमकिन रास्ता 0.0390 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 रणसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है व चक 1 बीएचपी के खाता संख्या 176/173 के मु.न. 3 के किला नं. 4 की 0.2530 हैक्टर, किला नं. 5/1 की 0.1270 हैक्टर, किला नं. 6–7 की 0.5060 हैक्टर, किला नं. 8/1 की 0.0630 हैक्टर कुल 0.9490 हैक्टर बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 रणसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है उक्त दोनों चकों की कृषि में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह के बजाय वादी जगतपाल एवं प्रतिवादी सं0 2 जयसिंह दोनों संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी नं. 3 ता 5 ने अपना–अपना हक अपने भाईयो प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त वादी जगतपाल व प्रतिवादी सं0 2 जयसिंह के नाम संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.04.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़